

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/68/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर.

विषय:- प्र.सं. 68 / 2024 अनवान एजन पत्नी छोटू लाल मीणा निवासी बाकरा
बनाम छोटू पिता देवा मीणा निवासी बाकरा, भेरू पिता नारायण मीणा निवासी बाकरा
भोजाराम पिता देवा मीणा निवासी बाकरा, हीरा पिता देवा मीणा निवासी बाकरा,
तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बाकरा प.ह. बाकरा
आराजी सं: 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1031 कुल कित्ता 07 रकबा
2.0844 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख
निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय
किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे ।
पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार
जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में
पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फाईल अहकाम

(विभाग 28)

अजि अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

एजना पत्नी छोदू ताल मीणा निवासी बाकरा

बनाम

छोदू पिता देवा मीणा निवासी बाकरा वगैरह

मुकदमा नंबर 68 /2024

विस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
तामील में जारी हु

03-04-24

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बाकरा प.ह. बाकरा आराजी सं. 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1031 कुल कित्ता 07 रकबा 2.0844 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बाकरा प.ह. बाकरा आराजी सं. 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1031 कुल कित्ता 07 रकबा 2.0844 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)